न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : – राकेश कुमार गुप्ता (R.A.S.)
राजस्व वाद संख्या : – 9/2020

उनवान

1. रामचन्द्र पुत्र चतुर्भज(तर्क)
2. रामधन पुत्र देवकरण
3. सुगना पुत्र देवकरण
4. मांगीलाल पुत्र बोदू जाति जाट नि0 तिहारी नसीराबाद

––– प्रार्थीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. जीवण पुत्र चतरा
2. पन्ना पुत्र चतरा
3. सांवरा पुत्र चतरा
4. हंगामी पत्नी काना जाति जाट नि00 तिहारी, नसीराबाद
5. लक्ष्मण पुत्र जोरा जाति बैरवा नि0 तिहारी, नसीराबाद
6. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
7. स्टेट बैंक आफॅ इण्डिया शाखा तिहारी, नसीराबाद
8. मन्दौर पुत्री मोबा जाति जाट
9. रामकिशन पुत्र मोबा जाति जाट
10. रामचन्द्र पुत्र रायचन्द जाति जाट
11. लक्ष्मण पुत्र छोटू जाति जाट
12. सूरमा पुत्री छेटू जाति जाट
13. हरजीराम दत्तक पुत्र सूरजकरण जाति जाट
14. हंसराज पुत्र छोटू जाति जाट नि0 तिहारी, नसीराबाद

–– अप्रार्थीगण :– 3 जरियें अधिवक्ता श्री जितेन्द्र गुर्जर
1,2,4,5 अनुपस्थित
8. से 14 जरियें अधिवक्ता श्री शकील अहमद

उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला–अजमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :– 11.11.21

प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम तिहारी के हाल खसरा नम्बर 2413 रकबा 0.10 व 2408 रकबा 0.18, 240[illegible] 0.13 की कृषि भूमि ग्राम तिहारी में स्थित है। आवेदनकर्ता की अप्रार्थी संख्या 1 लगायत [illegible] की [illegible] पास–पास है। प्रार्थीगण की भूमि के दक्षिण दिशा मे सडक भूमि हाल खसरा नम्बर 2641 [illegible] 0.38 व अप्रार्थी संख्या 4 हंगामी की भूमि व अप्रार्थी संख्या 5 लक्ष्मण[illegible] हाल ख[illegible]बर 2421 रकबा 0.20 व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 [illegible] खसरा नम्बर 2424 [illegible] 0.32 व

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 17:00:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

2420 रकबा 0.77 की भूमि के सामने स्थित है। उक्त सडक के दक्षिण से उतर की तरफ अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की खातेदारी भूमि हाल खसरा नम्बर 2424, 2420, 2421, 2312 में से प्रार्थीगण आवागमन करते है। प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु राजस्व अभिलेख व मौके पर कोई रास्ता विधमान नही है जिस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 2424, 2420, 2421, 2312 की भूमि मे से आवागमन करता है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त खसरा नम्बर मे से प्रार्थी को 30 फिट चौडा रास्ता माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान किया जावे। उक्त अनुसार आदेश जारी कर तहसीलदार नसीराबाद को राजस्व रेकार्ड व मानचित्र में रास्ता दर्ज करने के भी आदेश पारित करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

प्रकरण विचारण के दौरान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की खातेदारी भूमि हाल खसरा नम्बर 2424, 2420, 2421, 2312 मे से हो कर आवागमन के लिये प्रार्थीगण रास्ते के रूप में अपनी खातेंदारी भूमि में जाते है। क्यों कि प्रार्थी अपने सहपरिवार की भूमि में से जाते है। प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 3 से रास्ते के लिये जमीन लेना चाहते है तो प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 3 को उसी मूल्य की जमीन के बदले जमीन ले सकते है। क्योकि अप्रार्थी संख्या 3 के पास कुछ ही जमीन है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खरिज किया जावे। प्रार्थना पत्र विचारण के दौरान अप्रार्थी संख्या 8 से 14 ने आदेश 1 नियम 10 का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि मौका रिपोर्ट में खसरा नम्बर 2413 में से रास्ता दिये जाने बाबत बताया गया है। अतः प्रकरण में उन्हे पक्षकार मुर्तिब किया जावे। अधिवता प्रार्थी की अनापति पर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 8 से 14 को पक्षकार मुर्तिब किया गया। तथा अप्रार्थी संख्या 8 से 14 ने स्वीकारोंक्ति का जवाब पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4 व 5 प्रकरण मे अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 7 बैंक होने से उसकी तामीली का कोई औचित्य नही पाया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण के तर्को पर मनन किया। हाल खसरा नम्बर 2408 व 2409 तथा अन्य आराजी अप्रार्थी संख्या 2 से 4 की खातेदारी में दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर पर आवागमन हेतु 2424, 2420, 2421, 2312 में से भूमि चाहता है। खसरा नम्बर 2424 व 2420 अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के नाम खातेदार दर्ज है। खसरा नम्बर 2421 अप्रार्थी संख्या 5 के नाम व खसरा नम्बर 2312 अप्रार्थी संख्या 4 के नाम खातेदारी दर्ज है। मौका रिपोर्ट में खसरा नम्बर 2413 में से भी रास्ता दर्शाया है जो अप्रार्थी संख्या 8 से 14 के नाम दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4 व 5 प्रकरण मे अनुपस्थित रहे है तथा अप्रार्थी संख्या 8 से 14 ने स्वीकारोक्ति पेश की है। तहसीलदार नसीराबाद की मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त आराजी पर आवागमन हेतु कोई अन्य मार्ग उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यतिंक आवश्यकता है। मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने खसरा नम्बर 2420 का बंटवारा किया है। प्रस्तावित रास्ते के पूर्व दिशा में सावंरा पुत्र चतरा काबिज है। जो मौके पर उबावजूद सूचना उपस्थित नही हुआ। खसरा नम्बर 2413 में से 0.0134 है भूमि, (खसरा नम्बर 2420 में से 0. 0370, खसरा नम्बर 2424 में से 0.0048 है. भूमि,) खसरा नम्बर 2421 में से 0.0003 है. तथा ,खसरा नम्बर 2312 में से 0.0108 है0 भूमि की आवश्यकता है जिसकी डी0एल0सी0 दर से राशि कमशः 4706, 10821, 78 व 2796 है। अप्रार्थी संख्या 3 का कथन है कि उसके हिस्से में से रास्ता दिये जाने से उसेकी भूमि कम हो जायेगी। किन्तु उक्त आराजी खसरा नम्बर 2413 राजस्व अभिलेख में अविभाजित है तथा रास्ते [illegible] उपयोग मे आने वाली भूमि सभी सहखातेदार के हिस्से में से कम होगी। [illegible] वैकल्पिक रास्ता मौके पर उपलब्ध नही है। अप्रार्थी संख्या 3 [illegible] जवाब मे [illegible] के बदले भूमि चाही है किन्तु प्रार्थीगण भूमि के बदले मुआवजा देने हेतु तैयार है। [illegible] सिद्धान्त है कि रास्ता देने वाले व

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 17:00:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

रास्ता लेने वाले दोनो पक्षों में रास्ते में आयी भूमि के बदले भूमि भूमि दिए जाने पर सहमति है तो उसके अनुसार काश्तकारी नियम 70 (1)(1) के अनुसार भूमि दी जा सकती है परन्तु यदि दोनो पक्षों के मध्य सहमती नही हो तो काश्तकारी नियम 70 (1)(2) के अनुसार मुआवजा राशि निर्धारित की जा सकती है।" प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण ने भूमि के बदले भूमि दिये जाने में असहमती प्रकट की है साथ ही अप्रार्थी संख्या 8 से 14 ने प्रकरण में सहमती प्रकट की है। प्रार्थीगण को मार्ग की आत्यतिंक आवश्यकता सिद्व होती है। धारा 251 ए की मूल अवधारणा एक आसामी को अपनी भूमि तक आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध कराने की है। अतः प्रार्थीगण रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी है।

उक्तानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र "**स्वीकार**" किया जाता है। ग्राम तिहारी के खसरा नम्बर 2413 में से 134 वर्ग मीटर, 2420 में से 370 वर्ग मीटर, 2424 में से 48 वर्ग मीटर, 2421 में से 3 वर्ग मीटर व 2312 में से 108 वर्ग मीटर भूमि सिवायचक रास्ता दर्ज करने के आदेश जारी किये जाते है। उक्त मार्ग के एवज में खसरा नम्बर 2413 में 9412/ (अक्षरे नो हजार चार सौ बारह), 2420 में 19156 (उन्नीस हजार एक सौ छपप्न), 2424 में 2485/ (अक्षरे दो हजार चार सौ पिच्यासी) 2421 में 156/ (एक सौ छप्पन) 2312 में 5592 (पांच हजार पांच सौ बारनवे)रूपये प्रार्थीगण द्वारा सम्बन्धित खातेदारों को भुगतान करवाने के बाद तहसीलदार नसीराबाद उक्त रकबे को मौका रिपोर्ट में दर्ज नजरी नक्शा अनुसार राजस्व अभिलेख में सिवायचक रास्ता दर्ज करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 17:00:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner